2015/00010

# न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

## पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

**रसद अपील संख्या 29/2015**

**अपीलांट**
मैसर्स मॉ लक्ष्मी एण्ड कम्पनी
गोण मण्डी सिवाना,जरिये शंकरलाल
पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी
सिवाना तहसील,सिवाना

**बनाम**

**रेस्पोडेंट**
राजस्थान सरकार जरिये
जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद अपील अंतर्गतखण्ड 28(ए) राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन एंव नियंत्रण) आदेश 1980 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.08.2014 बमुकदमा विभागीय प्रकरण संख्या 59/10 द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

उपस्थितः–1. अपीलांट उपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा रेस्पोडेंट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मेसर्स मॉ लक्ष्मी एण्ड कम्पनी गौण्ड मण्डी सिवाना जरिये शंकरलाल राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन एंव नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञाधारी है। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा द्वारा दिनांक 27.07.2010 को मैसर्स मॉ लक्ष्मी एण्ड कंपनी गोण मण्डी सिवाना का निरीक्षण करने के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने अपीलांट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 59/2011 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2014 द्वारा अपीलांट को जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया और प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर दी। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 28(ए) राजस्थान व्यापारिक वस्तु( अनुज्ञापन एंव नियंत्रण)आदेश 1980 के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट उपस्थित रह एंव इनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट की ओर से श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा उपस्थित रहे।

4. हमने उभयपक्ष को सुना। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मेसर्स मॉ लक्ष्मी एण्ड कम्पनी गौण्ड मण्डी सिवाना जरिये शंकरलाल राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन एंव नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञाधारी है। सचिव कृषि उपज मण्डीसमिति बालोतरा द्वारा दिनांक 27.04.2010 को अपीलांट की फर्म का निरीक्षण करने पर वक्त निरीक्षण फर्म से रिकॉर्ड मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया एंव राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्स 17(7)के तहत मण्डी समिति को 4 माह से सूचना नहीं देना पाये जाने की सूचना सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा द्वारा देने पर विभागीय प्रकरण संख्या 59/2011 दर्ज किया गया। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने विभागीय प्रकरण में सुनवाई हेतु बारह नोटिस जारी किये गयें। मगर अपीलांट ने इसका कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को यह नोटिस स्वीकार है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन एंव नियंत्रण)आदेश 1980. के विभिन्न खण्डों एंव इसके तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 3,7,8 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2014 पारित किया है,वह सही एंव न्यायोचित है,जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2014 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर